संख्या- 406 /2024/ 3699 /चार-2024-1809633

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2024**

विषय:- राजभवन, लखनऊ में दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को 02 राज्यों (असम एवं नागालैण्ड) के स्थापना दिवस पर आयोजित किये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3502/सं0नि0-15(04)/2024-25 टी0सी0, दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राजभवन, लखनऊ में दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को 02 राज्यों (असम एवं नागालैण्ड) के स्थापना दिवस पर निम्नानुसार आयोजित किये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही शासनादेश दिनांक 08 नवम्बर, 2024 द्वारा झारखण्ड राज्य के स्थान पर गुजरात राज्य के स्थापना दिवस पर हुए व्यय को वास्तविक व्यय के आधार पर समायोजित करने तथा उत्तराखण्ड राज्य की तिथि परिवर्तन की अनुमति प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया गया है:-

(1) असम राज्य का स्थापना दिवस (10 दिसम्बर, 2024)

क्र0	विवरण	अनुमानित व्यय
1	अन्य राज्यों के कलाकारों का आवास एवं भोजन (12 कलाकार, 03 दिवस, 1400.00 की दर से)	50,400.00
2	राज्यों के स्थापना दिवस की थीम पर रंगोली, कट आउट, स्वागत द्वार आदि कार्य	1,15,000.00
3	राज्यों की कला एवं संस्कृति विषयक प्रदर्शनी	65,000.00
4	स्थानीय यातायात	65,000.00
5	पूर्वाभ्यास हेतु सूक्ष्म जलपान	35,000.00
	योग (1)	**3,30,400.00**

(2) नागालैण्ड राज्य का स्थापना दिवस (10 दिसम्बर, 2024)

क्र0	विवरण	अनुमानित व्यय
1	कलाकारों का मानदेय	30,000.00
2	राज्यों के स्थापना दिवस की थीम पर रंगोली, कट आउट, स्वागत द्वार आदि कार्य	1,25,000.00
3	राज्यों की कला एवं संस्कृति विषयक प्रदर्शनी	65,000.00
4	स्थानीय यातायात	35,000.00
5	कलाकारों हेतु परिधान/ प्रॉप्स आदि	25,000.00
6	पूर्वाभ्यास हेतु सूक्ष्म जलपान	30,000.00
	योग (2)	**3,10,000.00**
	महायोग (1 व 2)	**6,40,400.00**

2. शासनादेश संख्या- 370 /2024/ 3303 /चार-2024-1809633 दिनांक 08 नवम्बर, 2024 द्वारा दिनांक 04 से 15 नवम्बर, 2024 की अवधि में 07 राज्यों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड एवं झारखण्ड) के स्थापना दिवस के अवसर पर राजभवन, लखनऊ में होने वाले आयोजन हेतु रू0 32,92,000.00 (रू0 बत्तीस लाख बानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 370 /2024/ 3303 /चार-2024-1809633 दिनांक 08 नवम्बर, 2024 द्वारा झारखण्ड राज्य के स्थापना दिवस पर आयोजन हेतु प्रस्तावानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष गुजरात राज्य के स्थापना दिवस पर हुए व्यय को वास्तविक व्यय के आधार पर समायोजित किये जाने के साथ ही उत्तराखण्ड राज्य के स्थापना दिवस हेतु कार्यक्रम में तिथि परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

4. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार राजभवन, लखनऊ में दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को 02 राज्यों (असम एवं नागालैण्ड) के स्थापना दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु रू0 19.10 लाख (रू0 उन्नीस लाख दस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(8) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) समस्त कार्य जेम पोर्टल पर नियमानुसार निविदा के माध्यम से कराये जाएंगे, जिसकी दर सचिवालय प्रशासन / सूचना विभाग की दर से न्यूनतम होगी।

5. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-24-एक भारत श्रेष्ठ भारत-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in